भारतीय मानक ब्यूरो
उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

संदर्भः एन.आर.ओ./चिकित्सा प्रतिपूर्ति.

दिनांक : 01.03.2023

विषयः उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय एवं उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय के अधीनस्थ शाखा कार्यालयों के अंतर्गत चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार/ प्रतिपूर्ति के संबंध में।

परिपत्र/ सर्कुलर

भारतीय मानक ब्यूरो की एक्सक्यूटिव काउंसिल/ई.सी. की 147 वीं मीटिंग दिनांकित 23.12.2020 एवं स्थापना विभाग, मुख्यालय द्वारा जारी सर्कुलर संख्या ई.एस.टी.टी.–I/29:2/2021, दिनांकितः 20.02.2023 विषयः 'दिल्ली/ एन.सी.आर. से बाहर तैनात कर्मचारियों एवं पेंशनर लाभार्थियों की चिकित्सा सुविधाओं का मामला' के संदर्भ में सक्षम अधिकारी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि,

1. किसी भी निजी/प्राइवेट अस्पताल से चिकित्सा उपचार (केवल भर्ती/इन्डोर)/जॉच; जहाँ सी.जी.एच.एस. दर अथवा इसका वास्तविक मूल्य उपलब्ध नहीं हों, प्रतिपूर्ति को सी.जी.एच.एस. दरों या ए.आई.आई.एम.एस./एम्स दरों तक भुगतान को सीमित किया जाएगा।

2. निजी/ प्राइवेट अस्पताल में बाह्य रोगी /आउट पेशेंट डिपार्टमेंट/ओ.पी.डी. उपचार के मामले में इन ओ.पी.डी. उपचार की प्रतिपूर्ति को सी.एस.एम.ए. नियमों के अनुसार व्यय वहन किया जाएगा।

उपरोक्त को सर्वसंबंधितों के सूचनार्थ एवं दिनांक 23 फरवरी 2023 से अनुपालनार्थ जारी किया जा रहा है।

यह परिपत्र उपमहानिदेशक (उत्तर) के अनुमोदन पश्चात् जारी किया जा रहा है।

(रश्मि चुघ)
सहायक निदेशक (प्र. एवं वि.)

प्रमुख, आई.टी.एस. – कृपया बी.आई.एस. वेबसाईट/इन्ट्रानेट पर प्रदर्शित करने हेतु।

Bureau of Indian Standards
(Northern Regional Office)

Ref: NRO/ Medical Reimbursement Dated: 01.03.2023

Subject: Regarding Extension of Medical Facilities in Northern Regional Office and Branch Offices under Northern Regional Office.

CIRCULAR

With reference to 147th meeting of Executive Council/ EC dated: 23.12.2020 and Circular No. Estt-I/29:2/2021 dated: 20.02.2023 issued by Establishment Department, HQ regarding 'Medical facilities to Employees/ Pensioners/ Family Pensioners'. In this regard, the CA has approved the following medical facilities for the NRO beneficiaries (including BOs under its jurisdiction) :

1. "Medical Treatment (indoor only)/ tests" from any private hospital, subject to the condition that the reimbursement would be limited to the CGHS rates or AIIMS rates, where CGHS rates are not available or at actual rates where no such rates are available; and

2. OPD treatment from any private hospital subject to the condition that the reimbursement of the expenditure incurred on such OPD treatment shall be made as per CSMA Rules.

It is circulated to all concerned for kind information and implementation w.e.f. 23rd of February 2023.

This issues with the approval of DDGN.

Rashmi

(Rashmi Chugh)
AD (A&F)

Head, ITSD – To host on BIS Website/ Intranet, please.